रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 1974/माघ 30, 1895
No. 81] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 1974 MAGHA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th February 1974

S.O. 112(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Export (Control) Sixth Amendment Order, 1974.
2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'A' item No. 2 shall be deleted.
3. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'B', existing item No. 12 shall be substituted by the following:—

"12(a) Silver Bullion, Silver sheets and plates which have not undergone any process of manufacture subsequent to rolling.

(b) Silver salts, silver chemicals and compounds with more than 50 per cent silver contents.

(c) Manufactures and Products wholly or mainly of silver with more than 50 percent silver contents."

[No. E(C)O./1968/AM(119)]

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

एस० ओ० 112(अ).—आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात :—

1. इस आदेश को निर्यात नियंत्रण, छटा संशोधन, 1974 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग 'ए' मद सं० 2 को हटाया जाएगा ।
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग 'बी' की वर्तमान मद सं० 12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"12(ए) रजत बुलियन रजत शीटस तथा रजत प्लेटस जिन पर रोलिंग से पूर्व किसी किस्म की विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की गई है।

(बी) 50 प्रतिशत वाली रजत की मात्रा से अधिक वाले रजत लवण, रजत रसायन तथा मिश्रण।

(सी) 50 प्रतिशत वाली रजत की मात्रा से अधिक वाले पूर्णतया अथवा मुख्यतया रजत के विनिर्माण तथा उत्पाद"।

[सं० ई (सी) ओ, 1968/ए एम (119)]

एस० जी० बोस मल्लिक
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974